बैंकिंग करस्पान्डेंट सखी

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी (Banking Correspondent Sakhi) योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की योजना है। इसके तहत महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में रहने वाली महिलाओं को लक्षित करती है, ताकि वे अपने गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी योजना का उद्देश्य:

1. ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार:

कई ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की कमी होती है, जहां महिलाएं या गरीब लोग अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इस योजना का उद्देश्य उन इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।

2. महिलाओं का सशक्तिकरण:

इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सेवाओं में काम करने का अवसर दिया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी को स्वयं की आमदनी भी होती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।

3. वित्तीय समावेशन:

योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, ताकि हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंक खाता खोलने, पैसे ट्रांसफर करने, लोन लेने आदि की सेवाएं मिलती हैं।

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी के कार्य:

1. बैंकिंग सेवाओं का प्रचार और प्रसार:

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी को ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वह गांवों में जाकर लोगों को बताती हैं कि कैसे वे अपने खाते खोल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

2. खातों की ओपनिंग और अन्य सेवाएं:

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी अपने इलाके में खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। वह प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत ग्रामीणों के बैंक खाते खोलने में मदद करती हैं। इसके अलावा, सखी लोगों को कैश जमा, निकासी, पैसा ट्रांसफर, और अन्य बैंकिंग सेवाओं की सुविधा देती हैं।

3. लोन और बीमा संबंधित सहायता:

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी को लोन और बीमा योजनाओं के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), मुद्रा योजना, और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी देती हैं और उन्हें आवेदन करने में मदद करती हैं।

4. वित्तीय शिक्षा और जागरूकता:

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी को वित्तीय शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वह समुदाय में वित्तीय जागरूकता फैलाने का काम कर सकें। वह लोगों को स्मार्ट बचत, सही निवेश और धन प्रबंधन के बारे में सिखाती हैं।

5. डीजीपीएस सेवा (Digital Payment Services):

सखी ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान सेवाओं का प्रचार भी करती हैं, जैसे UPI, एटीएम, और डिजिटल लेन-देन। इससे ग्रामीण लोगों को ऑनलाइन लेन-देन के बारे में जानकारी मिलती है और वे डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करना सीखते हैं।

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी की पात्रता:

1. महिला होना:

योजना के तहत केवल महिलाओं को ही बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और महिलाएं अपने समुदाय में नेतृत्व का रोल निभाती हैं।

2. शैक्षिक योग्यता:

आमतौर पर 10वीं या 12वीं पास महिलाएं इस योजना में भाग ले सकती हैं। हालांकि, कुछ मामलों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह तय करना बैंकिंग संस्थानों के द्वारा किया जाता है।

3. प्रशिक्षण प्राप्त करना:

उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें बैंकिंग सेवाओं, फाइनेंसियल लिटरेसी, डिजिटल बैंकिंग, ग्रामीण वित्तीय उत्पाद और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कौशल सिखाया जाता है।

4. समुदाय में काम करने की क्षमता:

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी को अपने समुदाय में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और गांवों के लोगों के साथ अच्छा संपर्क होना चाहिए।

लखपति दीदी कार्यक्रम और बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी:

लखपति दीदी कार्यक्रम और बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी योजना दोनों का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इन दोनों योजनाओं के तहत महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जुड़ने के अवसर मिलते हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी के रूप में काम करने वाली महिलाएं स्वयं की आमदनी कमा सकती हैं और इसके साथ ही अपने समुदाय में वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग सेवाओं का प्रचार-प्रसार भी कर सकती हैं।

लाभ:

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:

महिलाएं स्व-रोज़गार के रूप में बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी का कार्य करके अपनी आय अर्जित करती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं।

2. वित्तीय सेवाओं की सुलभता:

गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने के साथ-साथ, लोगों को वित्तीय सेवाओं के उपयोग में भी आसानी होती है।

3. समाज में जागरूकता:

महिलाओं के बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता और वित्तीय समावेशन बढ़ता है।

4. महिलाओं का नेतृत्व:

यह योजना महिलाओं को समाज में नेतृत्व का अवसर देती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होती है।

निष्कर्ष:

बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी योजना महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे वे स्वावलंबी बनती हैं और ग्रामीण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ समाज में सशक्त नेतृत्व का अवसर भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से महिलाएं न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि अपने समुदाय को भी वित्तीय सेवाओं से जोड़ती हैं।